

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

रामलाल बनाम सरजीत सिंह


मुकदमा अन्तर्गत धारा:- 212 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर:- 29/2021

वकील प्रार्थी :- श्री सतपाल सिंह

वकील:- अप्रार्थी:-.....

चक:- 05 सी-बड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
07.04.2021	<p>वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 05 सी बड़ी के खाता संख्या 44/40, मुरब्बा नम्बर 27,44,50 व 60 की कृषि भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.04.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उम्मेद सिंह रानू (R.A.S) सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर </p>	

22/4/21

आज पीठासीन अधिकारी ~~उम्मेद सिंह रानू~~ के कार्यालय में पेश है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/5/21 को पेश हो



